Court Case No – 19/2024

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फा. सं.: NCST/DEV-3207/JH/124/2024-RO-RNC
फा. सं.: NCST/DEV-3208/JH/125/2024-RO-RNC
फा. सं.: NCST/DEV-3209/JH/126/2024-RO-RNC

श्री हृदीप पी. जनार्दन,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, धनबाद,
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला – धनबाद,
झारखंड - 826001
ई-मेल : sp-dhanbad@jhpolice.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के समक्ष **दिनांक 20.09.2024 को 05:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1: NCST/DEV-3207/JH/124/2024-RO-RNC

अभ्यावेदक श्री कालीचरण टूडू, पिता - स्व. गंगाधर टुडू, पता - ग्राम + पोस्ट - गोडतोपा, थाना - गोविंदपुर, जिला - धनबाद (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "जबरन आदिवासी की जमीन पर कब्जा करने के संबंध में।"

संदर्भ 2: NCST/DEV-3208/JH/125/2024-RO-RNC

अभ्यावेदिका श्रीमती नीलमणी देवी, पति - श्री मोती लाल मांझी, साकिन - ढांगी, पोस्ट - रोवाम, थाना - तोपचाँची, जिला - धनबाद (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "भू- माफियाओं द्वारा धोखाधड़ी एवं रंगदारी पूर्वक/दबगंत पूर्वक आदिवासी खतियान जमीन को कब्जा कर लिए जाने तथा मानसिक एवं सामाजिक प्रताड़न तथा अत्याचार के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु आवेदन के संबंध में।"

संदर्भ 3: NCST/DEV-3209/JH/126/2024-RO-RNC

अभ्यावेदिका श्रीमती मेरी मेबुल प्रभावती डाडेल, पति - श्री हरीनारायण भट्टाचार्यी, निवास - भूदा, गुरुनानक कालेज के पीछे, थाना - धनसार, जिला - धनबाद (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ उसके घर का विक्रयनामा करने के बाद पूर्ण रकम का भुगतान किये बिना बेईमानी से घर पर कब्जा करने और बकाया रकम के भुगतान की मांग करने पर महिला को धमकी देने एवं जातिगत दुर्व्यवहार करने के संबंध में।

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 13, सितंबर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

मोहर

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-3207/JH/124/2024-RO-RNC **दिनांक: 13.09.2024**

सेवा में,

श्री कालीचरण टूडू,
पिता - स्व. गंगाधर टुडू,
पता - ग्राम + पोस्ट - गोडतोपा,
थाना - गोविंदपुर,
जिला - धनबाद (झारखंड)

विषय: अभ्यावेदक श्री कालीचरण टूडू, पिता - स्व. गंगाधर टुडू, पता - ग्राम + पोस्ट - गोडतोपा, थाना - गोविंदपुर, जिला - धनबाद (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "जबरन आदिवासी की जमीन पर कब्जा करने के संबंध में।"

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा जी ने आपके मामलें में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ **दिनांक 20.09.2024 को 05:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अत: आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी
ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदय (अ. ला.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।